छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | त्रयोदश सत्र | अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013

(आषाढ़ -25, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य का नाम पुकारा गया। नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे द्वारा झीरम घाटी की घटना का उल्लेख किया गया। माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को चलाने में सहयोग देने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए एवं पर्चे लहराए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 07, 08, 10, 12, 15, 17 से 23 तक के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री भजनसिंह निरंकारी, अमितेष शुक्ल, (डॉ) हरिदास भारद्वाज, लेखराम साहू, रविन्द्र चौबे, (डॉ.) शक्राजीत नायक, राजकमल सिंघानिया, भोलाराम साहू, टी.एस.सिंहदेव, लखमा कवासी, मोहम्मद अकबर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी एवं श्री बोधराम कंवर ने उपस्थित रह कर भी प्रश्न नहीं किए।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.09 बजे स्थगित की जाकर 11.25 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। निरंतर नारेबाजी के मध्य प्रश्न संख्या 14 एवं 16 (कुल 2) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01, 04, 05, 06, 09, 11, 13, के प्रश्नकर्त्ता सदस्य सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, देवेन्द्र बहादुर सिंह, महंत रामसुंदर दास, (डॉ) प्रेमसाय सिंह टेकाम, कुलदीप सिंह जुनेजा, दूजराम बौद्ध, विरेन्द्र कुमार साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.37 बजे स्थगित की जाकर 12.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए तथा पर्चे लहराये गये ।

2. फरवरी-मार्च, 2013 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार फरवरी-मार्च, 2013 प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

3. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 01 सन् 2013) पटल पर रखा गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए तथा निरंतर नारेबाजी करते रहे।)

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2012 सत्र में पारित 7 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर तथा फरवरी-मार्च, 2013 सत्र में पारित 14 विधेयकों में से 13 विधेयकों पर पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

6. राज्यपाल द्वारा लौटाये गए विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत दिनांक 03 जुलाई, 2013 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है :-

"छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अनुमति के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 माननीय राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। उसके पश्चात् संसद द्वारा दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया गया जिसमें उक्त अध्यादेश में वर्णित कुछ प्रावधानों को भी संशोधित किया गया। केन्द्रीय दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य तथा प्रकाश में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, एतद् द्वारा दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 को इस संदेश के साथ विधानसभा को वापस करता हूँ कि उक्त विधेयक के निम्नानुसार संशोधनों की वांछनीयता पर पुनर्विचार करे-

(1) दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 के खण्ड-7 धारा 154 का संशोधन,

(2) दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 के खण्ड-8 धारा 161 में परन्तुक का प्रतिस्थापन,

(3) दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 के खण्ड-9 धारा 164 का संशोधन,

(4) दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 के खण्ड-11, धारा 309 का संशोधन

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार यह विधेयक लौटाया जाता है।"

7. राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा ने विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 91 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) विधानसभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाये गए रूप में पटल पर रखा।

8.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(6) श्री ताम्रध्वज साहू

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2013 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय तथा विधायी कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

वित्तीय कार्य	समय
वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

	विधायी कार्य	समय
(1)	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013)	10 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013)	10 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013)	10 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013)	10 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013)	10 मिनट
(6)	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013)	30 मिनट
(7)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013)	1.00 घंटा
(8)	छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013)	10 मिनट
(9)	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013)	10 मिनट
(10)	भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013)	10 मिनट
(11)	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013)	10 मिनट
(12)	छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013)	10 मिनट
(13)	छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013)	30 मिनट

माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाया गया विधेयक	**समय**
दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013)	10 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, ह्दयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, बोधराम कंवर, रामदयाल उइके, अजीत जोगी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री बदरूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, सौरभ सिंह।

11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, नंदकुमार साहू, सदस्य ने राजधानी रायपुर में लगे गांवों में शासकीय भूमि की अवैध प्लाटिंग किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) नवम्, दशम्, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 की तिथि निर्धारित की ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013)

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री, ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(5) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(6) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(7) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(8) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013)

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013)

श्री केदारनाथ कश्यप, मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री केदारनाथ कश्यप, मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 12 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(7) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(8) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अपराह्न 1.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़, 26 शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा